संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/ 2018/ 864 भोपाल, दिनांक 31 /05/2018

–:: **आदेश** ::–

डॉ प्रेमेन्द्र शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय जेल भोपाल में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से डॉ प्रेमन्द्र शर्मा, चिकित्सा अधिकारी की प्रतिनियुक्ति अवधि में आगामी 01 वर्ष हेतु वृद्धि की जाती है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

31/5/18
(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म0प्र0

पृ0क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/ 2018/ 865 भोपाल, दिनांक 31 /05/2018

प्रतिलिपः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म0प्र0।
02. विशेष सहायक मान. राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
03. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,म0प्र0।
04. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,म0प्र।
05. निज सहायक, अतिरिक्त महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवायें, भोपाल, जेल मुख्यालय भोपाल,म0प्र0।
06. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल – म0प्र0।
07. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल – म0प्र0।
08. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल म0प्र0।
09. अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, भोपाल,म0प्र0।
10. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जयप्रकाश चिकित्सालय भोपाल,म0प्र0।
11. ~~जिला कोषालय अधिकारी जिला भोपाल म0प्र0।~~
12. संबंधित अधिकारी, की ओर तत्काल पालनार्थ द्वारा अधीक्षक, केन्द्रीय जेल भोपाल,म0प्र0।
13. प्रभारी एम0आई0एस0,स्थानीय कार्यालय, भोपाल म0प्र0।
14. आदेश नस्ती।

31/5/18
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म0प्र0

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/ 2018/150 भोपाल, दिनांक 28/04/2018

—:: **आदेश** ::—

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से डॉ नीरज कुमार छारी, चिकित्सा अधिकारी, एम0एस0सर्जरी, जिला चिकित्सालय धार की सेवायें, एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से 02 वर्ष की समयावधि हेतु, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन, एम0वाय0 चिकित्सालय इंदौर को सौंपी जाती है।

प्रमुख सचिव(स्वास्थ्य) द्वारा अनुमोदित

28/4/12

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म0प्र0

पृ0क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/ 2018/651 भोपाल, दिनांक 28/04/2018

प्रतिलिपः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म0प्र0।
02. विशेष सहायक मान. राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
03. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,म0प्र0।
04. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन,चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल,म0प्र0।
05. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,म0प्र।
06. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल,म0प्र0।
07. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर म0प्र0।
08. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर ,म0प्र0।
09. संयुक्त संचालक सह अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर ग्वालियर,म0प्र0।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धार/इंदौर म0प्र0।
11. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय धार/इंदौर ,म0प्र0।
12. जिला कोषालय अधिकारी धार/इंदौर म0प्र0।
13. संबंधित अधिकारी की ओर तत्काल पालनार्थ :–द्वारा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय धार।
14. प्रभारी एम0आई0एस0,स्थानीय कार्यालय, भोपाल म0प्र0।
15. आदेश नस्ती।

28/4/12

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म0प्र0

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/ 2018/ 545 भोपाल, दिनांक 9/04/2018

–:: आदेश ::–

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों में, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन,प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के शिशुरोग/निश्चेतना/स्त्रीरोग विशेषज्ञ/चिकित्सकों की सेवायें, एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से वापस लेते हुए, कॉलम क्रमांक 04 में उल्लेखित संस्था में पदस्थ किया जाता है :–

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना स्थल	नवीन पदस्थापना
01	02	03	04
01	डॉ हॅसमुखी शाक्य निश्चेतना विशेषज्ञ	चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर ट्रामा सेन्टर	जिला चिकित्सालय मुरार ग्वालियर
02	डॉ घनश्याम कक्कड़, चि0अ0 डिप्लोमा निश्चेतना	मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर,	पॉलीक्लीनिक तानसेन नगर, ग्वालियर
03	डॉ सतीश अहिरवार, चि0अ0, डिप्लोमा निश्चेतना	हमीदिया चिकित्सालय भोपाल	सि0अ0बैरागढ़ भोपाल
04	डॉ शोभा चतुर्वेदी, स्त्रीरोग विशेषज्ञ	सिविल अस्पताल मर्सीहोम ग्वालियर	ट्रामा सेन्टर ग्वालियर मुरार, (विशेषज्ञ के रिक्त पद के विरूद्ध)
05	डॉ प्रदीप कुमार जैन, शिशुरोग विशेषज्ञ	सि0अ0 मर्सीहोम ग्वालियर	जिला चिकित्सालय मुरार ग्वालियर
06	डॉ ए0के0उपाध्याय, शिशुरोग विशेषज्ञ	चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल	सि0अ0 बैरसिया, जिला भोपाल
07	डॉ अमीर सिंह मुकाती, चि0अ0, डी0सी0एच0	चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल के अधीन

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

<u>प्रमुख सचिव(स्वास्थ्य) द्वारा अनुमोदित</u>

7/5/18
(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म0प्र0

पृ0क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/ 2018/ 546 भोपाल, दिनांक 9 /04/2018

प्रतिलिपः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म0प्र0।
02. विशेष सहायक मान. राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
03. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,म0प्र0।
04. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन,चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल,म0प्र0।
05. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,म0प्र।
06. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल,म0प्र0।
07. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल/ग्वालियर म0प्र0।

निरंतर.............2

08. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, ग्वालियर,म0प्र0।
09. संयुक्त संचालक सह अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, ग्वालियर,म0प्र0।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल/ग्वालियर म0प्र0।
11. अधीक्षक, सि0अ0 मर्सीहोम , ग्वालियर,म0प्र0।
12. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय भोपाल/ग्वालियर,म0प्र0।
13. जिला कोषालय अधिकारी भोपाल/ग्वालियर म0प्र0।
14. संबंधित अधिकारी की ओर तत्काल पालनार्थ :–द्वारा अधिष्ठाता/संयुक्त संचालक सह अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर/भोपाल।
15. प्रभारी एम0आई0एस0,स्थानीय कार्यालय, भोपाल म0प्र0।
16. आदेश नस्ती।

7/5/18

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म0प्र0

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/ 2017/4316 भोपाल, दिनांक 28/09/2017

–:: आदेश ::–

संचालनालय के आदेश क्रमांक 01 जी/विज्ञप्त/सेल–5/2015/1501–1502 दिनांक 06.10.2017 के द्वारा डॉ सलील कुमार, नेत्ररोग विशेषज्ञ की सेवायें, क्षेत्रीय नेत्र संस्थान , चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल को 02 वर्ष की समयावधि हेतु सौंपी गई थी।

डॉ सलील कुमार, नेत्ररोग विशेषज्ञ की क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में प्रतिनियुक्ति अवधि एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से दिनांक 31.03.2018 तक बढ़ाई जाती है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
म0प्र0

पृ0क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/ 2017/4317 भोपाल, दिनांक 28/09/2017

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म0प्र0।
02. विशेष सहायक मान. राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
03. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,म0प्र0।
04. स्वास्थ्य आयुक्त, म0प्र0।
05 मिशन संचालक(एन0एच0एम0),जेल रोड, भोपाल,म0प्र0।
06. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग ।
07. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल,म0प्र0।
08. संचालक, क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल,म0प्र0।
09. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल म0प्र0।
10. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय जिला भोपाल म.प्र.।
11. जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल,म0प्र0।
12. संबंधित अधिकारी, डॉ सलील कुमार, नेत्ररोग विशेषज्ञ, क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल की और तत्काल पालनार्थ।
13. प्रभारी एम0आई0एस0,स्थानीय कार्यालय, भोपाल म0प्र0।
14. आदेश नस्ती।

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
म0प्र0

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र. 1 जी/विज्ञप्त/सेल–संविदा/17/ भोपाल, दिनांक /08/2017

प्रति,

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
सतपुडा भवन, भोपाल।

विषय – सीनियर रेसीडेन्ट पद पर नियुक्ति हेतु अनापत्ति बाबत।

कृपया डॉ. अमरेश कुमार शुक्ला, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमलिहा, जिला रीवा से प्राप्त आवेदन पत्र का अवलोकन करें। चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के अंतर्गत सीनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति चाही गई है।

डॉ. अमरेश कुमार शुक्ला, द्वारा सेवारत अभ्यार्थी के रूप में वर्ष 2017 को एम.डी. रेडियोडायग्नोशिस पाठ्यक्रम पूर्ण किया है । प्री.पी.जी. नियम 2014 अनुसार सेवारत अभ्यर्थी के रूप में डिग्री कोर्स हेतु 5 वर्ष की अनिवार्य सेवा का बंधपत्र निष्पादित कराया गया है। अतः डॉ. अमरेश कुमार शुक्ला, की सेवाऐं प्रतिनियुक्ति पर एक वर्ष हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग को सोंपते हुए इन्हे इस शर्त पर अनुमति प्रदान की जाती है कि डॉ. शुक्ला एक वर्ष के सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर कार्य करने के उपरांत नियमानुसार विभाग में अपनी सेवाऐ प्रदान करेंगे।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।

//
(धनराजू एस.)
संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,
मध्यप्रदेश

पृ0 क्र.1 जी/विज्ञप्त/सेल–संविदा/17/5105 भोपाल,दिनांक 11/08/2017

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. संचालक चिकित्सा शिक्षा, भोपाल
4. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रीवा म.प्र.।
6. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर पोर्टल पर अपलोड हेतु।
7. सम्बंधित चिकित्सक की ओर सूचनार्थ।

11/08/2017

संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक /12/2016

क्रमांक/ /4915/2016/सत्रह/मेडि–1 :: मध्यप्रदेश शासन पशुपालन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2951/3648/2016/पैंतीस दिनांक 05.11.2016 द्वारा डॉ. शैलेष कुमार साकल्ले, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी, विकास खण्ड बुधनी जिला सीहोर की सेवायें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपे जाने हेतु सहमति प्रदान की गई है।

2/ उपर्युक्त सहमति के आधार पर राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. शैलेष कुमार साकल्ले, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बुधनी जिला सीहोर को सेवाऐं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारी पद के विरूद्ध राज्य एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आई.डी.एस.पी.) कार्य हेतु संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाता है।

3/– सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति के संबंध में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश संबंधित अधिकारी की प्रतिनियुक्ति सेवाओं पर लागू होंगे।

(इच्छित गढ़पाले)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक 4244/4915/2016/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 29/12/2016

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, पशुपालन विभाग।
3. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
4. निज सचिव, प्रमख सचिव म0प्र0 शासन, पशुपालन विभाग।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. मिशन संचालक, एन.एम.एम. भोपाल म.प्र.।
6. संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि–डॉ. शैलेष साकल्ले को तत्काल कार्यमुक्त करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
7. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, म.प्र.।
11. डॉ. शैलेष कुमार साकल्ले, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी, विकास खण्ड बुधनी जिला सीहोर ,म.प्र.।
12. स्टॉक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

08 DEC 2016
6157

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक /12/2016

क्रमांक /4526/2016/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. सुजाता गोयल, चिकित्सा अधिकारी, राज्य बीमा चिकित्सालय, सोनागिरी भोपाल, म0प्र0 की सेवायें प्रतिनियुक्ति से वापस ली जाकर गैस राहत विभाग के इंदिरा गांधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय में प्रतिनियुक्ति पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है

(इच्छित गढ़पाले)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक 4078 /4526/2016/सत्रह/मेडि–1, भोपाल,दिनांक 07/12/2016

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग।
3– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेव साईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4– संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
5– संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म0प्र0।
6– अधीक्षक, इंदिरा गांधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय, भोपाल म.प्र.।
7– अधीक्षक, कर्मचारी, राज्य बीमा चिकित्सालय, सोनागिरी भोपाल म.प्र.।
8– कोषालय अधिकारी-भोपाल म0प्र0 ।
9– डॉ. सुजाता गोयल, चिकित्सा अधिकारी, राजय बीमा चिकित्सालय, सोनागिरी भोपाल,0प्र0।
10– स्टॉक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

OS/DD(G)
(MHS)
09/XII/16

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
<u>मंत्रालय</u>

—:: <u>संशोधित आदेश</u> ::—

भोपाल, दिनांक /09/2016

क्रमांक एफ 06–01/2016/सत्रह/मेडि–एक :: डॉ. संजय सक्सेना, रेडियोलॉजिस्ट, तत्कालीन प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत, भोपाल को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2016 के उपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. संजय सक्सेना, रेडियोलॉजिस्ट को दिनांक 01.07.2016 से 02 वर्ष की संविदा नियुक्ति गैस राहत विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :—

1. संविदा सेवा में नियुक्ति के लिए अवधि दो वर्ष होगी।
2. संविदा सेवा में प्रतिमाह एकजाई वेतन देय होगा।
3. एकजाई वेतन निर्धारित करने के लिए सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त कुल वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर जो राशि आयेगी वह राशि संविदा वेतन के रूप में देय होगी। इस संविदा वेतन पर किसी प्रकार का महगाई भत्ता या अन्य भत्ते देय नहीं होगें।
4. पेंशन पृथक से प्राप्त करने की पात्रता होगी तथा पेंशन पर देय राहत की पात्रता होगी।
5. संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
6. संविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह के आवंटन/आधिपत्य की पात्रता नहीं होगी, उन्हें केवल पात्रतानुसार गृहभाड़ा भत्ता देय होगा। संविदा नियुक्ति के समय यदि उसके नाम से शासकीय आवास आवंटित होगा या अधिपत्य में होगा तो उसे शासकीय आवास रिक्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही संविदा नियुक्ति का कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।
7. अस्थाई शासकीय सेवकों के समान अवकाश की पात्रता होगी।
8. यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जो कि सेवानिवृत्त के तत्काल पूर्व थी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 लागू होगें।
10. संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक से 45 दिन तक प्रभावशील होगा। इस अवधि में यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो संविदा नियुक्ति का आदेश स्वतः प्रभावशून्य हो जायेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(गिरीश कुमार नेगी)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

निरंतर.....2/–

//2//

पृ. क्रमांक एफ 06–01/2016/सत्रह/मेडि–एक भोपाल, दिनांक 9/09/2016

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल।
5. निज सचिव, प्रमुख सचिव, गैस राहत विभाग मंत्रालय, भोपाल।
6. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाइड पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
7. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास भोपाल मध्यप्रदेश।
9. संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय भोपाल मध्यप्रदेश।
10. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, मध्यप्रदेश।
11. अधीक्षक, मास्टर लाल सिंह चिकित्सालय एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत भोपाल।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल, मध्यप्रदेश।
13. जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल, म.प्र.।
14. संबंधित डॉ. संजय सक्सेना, रेडियोलॉजिस्ट, तत्कालीन प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत, भोपाल।
15. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

9/9/16

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

15 SEP 2016

5474

MIS / DD(G)

16/9/16

784

16-9-16

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक 22/08/2016

क्रमांक एफ 06—01/2016/सत्रह/मेडि—एक :: डॉ. संजय सक्सेना, रेडियोलॉजिस्ट, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, मास्टर लाल सिंह चिकित्सालय एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत, भोपाल को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2016 के उपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. संजय सक्सेना, रेडियोलॉजिस्ट को दिनांक 01.07.2016 से 02 वर्ष की संविदा नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :—

1. संविदा सेवा में नियुक्ति के लिए अवधि दो वर्ष होगी।
2. संविदा सेवा में प्रतिमाह एकजाई वेतन देय होगा।
3. एकजाई वेतन निर्धारित करने के लिए सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त कुल वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर जो राशि आयेगी वह राशि संविदा वेतन के रूप में देय होगी। इस संविदा वेतन पर किसी प्रकार का महगाई भत्ता या अन्य भत्ते देय नहीं होगें।
4. पेंशन पृथक से प्राप्त करने की पात्रता होगी तथा पेंशन पर देय राहत की पात्रता होगी।
5. संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
6. संविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह के आवंटन/आधिपत्य की पात्रता नहीं होगी, उन्हें केवल पात्रतानुसार गृहभाड़ा भत्ता देय होगा। संविदा नियुक्ति के समय यदि उसके नाम से शासकीय आवास आवंटित होगा या अधिपत्य में होगा तो उसे शासकीय आवास रिक्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही संविदा नियुक्ति का कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।
7. अस्थाई शासकीय सेवकों के समान अवकाश की पात्रता होगी।
8. यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जो कि सेवानिवृत्त के तत्काल पूर्व थी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 लागू होगें।
10. संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक से 45 दिन तक प्रभावशील होगा। इस अवधि में यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो संविदा नियुक्ति का आदेश स्वतः प्रभावशून्य हो जायेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(गिरीश कुमार नेगी)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

निरंतर.....2/—

पृ. क्रमांक एफ 06—01/2016/सत्रह/मेडि—एक भोपाल, दिनांक 22/08/2016

प्रतिलिपिः—

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/गैस राहत विभाग मंत्रालय, भोपाल।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाइड पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, मध्यप्रदेश।
8. अधीक्षक, मास्टर लाल सिंह चिकित्सालय एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत भोपाल।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल, मध्यप्रदेश।
10. जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल, म.प्र.।
11. संबंधित डॉ. संजय सक्सेना, रेडियोलॉजिस्ट, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, मास्टर लाल सिंह चिकित्सालय एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत, भोपाल।
12. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

22/8/16

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

– :: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक 02/08/2016

क्रमांक/ 1790 /3091/2016/सत्रह/मेडि–1 :: इस विभाग के आदेश क्रमांक 1002/1561/2016/सत्रह/मेडि–1 दिनांक 26.4.2016 के सरल कमांक 01 पर अंकित डॉ. अनिल कुमार सिरभैया, पैथालॉजिस्ट का इंदिरा गांधी गैस राहत चिकित्सालय भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर) किया गया स्थानांतरण (उनकी सेवा निवृत्ति दिनांक 31.7.2016 को होने के कारण) तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(गिरीश कुमार नेगी)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक /1791 /3091/2016/सत्रह/मेडि–1, भोपाल,दिनांक 2 /08/2016

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाइड पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल म.प्र.।
5. अधीक्षक, इंदिरा गांधी गैस राहत चिकित्सालय भोपाल।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल म.प्र.।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला भोपाल म.प्र.।
8. जिला कोषालय अधिकारी भोपाल म.प्र.।
9. संबंधित डॉ.. म.प्र.।
10. स्टॉक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(133)

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक /02/2016

कमांक /135/2016/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती किरणदास, सिस्टर ट्यूटर, पल्मोनरी मेडिसीन सेन्टर, गैस राहत, भोपाल की सेवायें तत्काल प्रभाव से प्रतिनियुक्ति से वापिस लेते हुए इन्हें जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, रायसेन में सिस्टर ट्ययूटर के पद पर पदस्थ करता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

23 FEB 2016
2920

(डॉ. मनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

पृ.कमांक 433 /135/2016/सत्रह/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 23/02/2016
प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्टाफ आफीसर/निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

1. महालेखाकार,मध्यप्रदेश ग्वालियर,
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर अग्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें,
3. संचालक (नर्सिंग) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल
4. संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, भोपाल,
5. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल,
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत, भोपाल,
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, रायसेन,
8. जिला कोषालय, अधिकारी, भोपाल एवं रायसेन,
9. संबंधित श्रीमती किरणदास, सिस्टर ट्यूटर, पल्मोनरी मेडिसीन सेन्टर, गैस राहत, भोपाल,
10. विभागीय जांच/ स्टाफ फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक /03/2016

क्रमांक/ /1154/2016/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. सी.एम. त्रिपाठी, उप संचालक (तकनीकी) राज्य रक्ताधान परिषद् भोपाल को उनकी सेवाऐं प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुए उप संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं सतपुडा भवन भोपाल में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं सतपुड़ा भवन, भोपाल
AD/OF
01 APR 2016
9181

(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक/ 797/1154/2016/सत्रह/मेडि–1, भोपाल,दिनांक 31/03/2016

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्री जी, लोक स्वा0 एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा0 एवं परि0 क0 विभाग।

1. महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. संचालक, म.प्र. राज्य रक्ताधान परिषद् भोपाल म.प्र.।
4. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल म.प्र.।
5. जिला कोषालय अधिकारी ग्वालियर म.प्र.।
6. डॉ. सी.एम. त्रिपाठी, उप संचालक (तकनीकी) राज्य रक्ताधान परिषद् भोपाल म.प्र.।
7. स्टॉक फाईल।

उप. संचा. (प्रशा.) जा.क्र. 1332 02/04/16

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

31/3/16
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DDE/MIS
02/04/16

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/2016/ भोपाल, दिनांक /03/2016

–:: आदेश ::–

डॉ ओम प्रकाश तिवारी, चिकित्सा अधिकारी, वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन(WHO) के अधीन नेशनल पोलियो सर्विलेंस प्रोजेक्ट में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। डॉ तिवारी की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर दिसंबर 2006 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधीन सौंपी गई थी। डॉ तिवारी द्वारा डब्लू0एच0ओ0 में कार्यरत रहते हुए पोलियो उन्मूलन, खसरा उन्मूलन एवं नियमित टीकाकरण कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। वर्ष 2014 में अशोकनगर जिले में एवं वर्ष 2015 में धार जिले में ओ0आई0सी0 के रूप में विभाग को इनकी सेवायें प्राप्त हुई हैं।

अतः डॉ ओम प्रकाश तिवारी, चि0अ0 के कार्यो को देखते हुए इनकी नेशलन पोलियों सर्वीलेंस प्रोजक्ट अंतर्गत अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति अवधि (दिनांक 01.01.2007 से इस आदेश जारी होने की दिनांक तक) को भूतलक्षीय प्रभाव से स्वीकृत किया जाकर, नियमित सेवा मान्य किया जाता है एवं सेवायें प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुए, इनकी सेवायें प्रतिनियुक्ति पर मिशन संचालक(राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) के अधीन 02 वर्ष की समयावधि हेतु सौंपी जाती है। प्रतिनियुक्ति अवधि में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति हेतु जारी दिशा–निर्देश प्रभावशील होंगे।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/सिंहस्थ/2016/491 भोपाल, दिनांक 14/03/2016

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
02. विशेष सहायक मान. राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
03. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल।
04. मिशन संचालक(एन0एच0एम0), जेल रोड, भोपाल।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय, भोपाल,म0प्र0।
06. टीम लीडर, डब्लू0एच0ओ0, कार्यालय भोपाल,म0प्र0।
07. समस्त संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश म0प्र0।
08. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला झाबुआ मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
09. उप संचालक(कार्या0स्थापना), स्थानीय कार्यालय,भोपाल,म0प्र0।
10. उपरोक्त संबंधित अधिकारी, डॉ ओम प्रकाश तिवारी, सब रीजनल टीम लीडर, डब्लू0एच0ओ0–एन0पी0एस0पी0, द्वितीय तल सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर तत्काल पालनार्थ ।
11. प्रभारी एम0आई0एस0, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
12. आदेश नस्ती।

14/3/2016
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

अप. संचा. (प्रशा.) जा.क्र. 792
दिनांक 05/02/16

260
नि.सहा./स्वा. आयुक्त/........
दिनांक 08/02/16

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक /02/2016

क्रमांक/ /462/2016/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. अवतार सिंह, शल्यक्रिया विशेषज्ञ को चिकित्सा शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुए संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय ग्वालियर में प्रभारी उप संचालक के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक/283/462/2016/सत्रह/मेडि–1, भोपाल,दिनांक 06/02/2016

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्री जी, लोक स्वा0 एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा0 एवं परि0 क0 विभाग।
3. निज सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय।

---

1. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र.।
3. अधिष्ठाता, गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर म.प्र.।
5. जिला कोषालय अधिकारी ग्वालियर म.प्र.।
6. डॉ. अवतार सिंह, शल्यक्रिया विशेषज्ञ, चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर म.प्र.।
7. स्टॉक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

6/2/16
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DD(U)/MS
AD(ESTT)
8/2
9.2.16

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक /01/2016

क्रमांक/ /4007/2016/सत्रह/मेडि–1 : राज्य शासन एतद् द्वारा श्री पी.बी. बरूआ, कम्पाउण्डर कम स्टोर कीपर, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें भोपाल को अस्थायी रूप से 02 वर्ष के लिये प्रतिनियुक्ति पर पब्लिक हेल्थ सर्विस कार्पोरेशन भोपाल में पदस्थ किया जाता है।

2/ राज्य शासन द्वारा समय–समय पर प्रतिनियुक्ति के संबंध में जारी निर्देश लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

पृ. क्रमांक/ 200 /4007/2016/सत्रह/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 28/01/2016

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. स्टाफ ऑफीसर/निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।

---

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम. भोपाल।
4. महाप्रबंधक, म0प्र0 पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, भोपाल।
7. जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल।
8. श्री पी.बी. बरूआ, फार्मासिस्ट, संभागीय संयुक्त संचालक, कार्यालय भोपाल।
9. विभागीय जांच/स्टॉक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

28/1/16

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक / /2016

क्र/4/कार्या.स्था/सेल–2/2016/

//आदेश//

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश कमांक–एफ 02–27/2009/सत्रह/मेडि–1, दिनॉक 31.08.2009 के द्वारा श्री शरद कुमार सोनी, सहायक यंत्री, जिला केन्द्रीय को–ऑपरेटिव बैंक मर्यादित मंदसौर वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में कार्यपालन यंत्री के पद पर 02 वर्ष के लिये प्रतिनियुक्ति अवधि पर पदस्थ किया गया था।

राज्य शासन द्वारा श्री शरद कुमार सोनी, सहायक यंत्री की संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, के पद कार्यपालन यंत्री पर प्रतिनियुक्ति अवधि में समय–समय पर वृद्वि की जाती रही हैं तथा शासन आदेश क. एफ 2–27/2009/सत्रह/मेडि–1, दिनॉक 11.12.2015 के द्वारा श्री सोनी, की प्रतिनियुक्ति अवधि में दिनॉक 31.12.2015 तक वृद्वि की गई थी।

श्री शरद कुमार सोनी, प्रभारी कार्यपालन यंत्री की प्रतिनियुक्ति अवधि में दिनॉक 31.01.2016 तक वृद्वि करते हुये श्री सोनी को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के कार्यपालन यंत्री पद से दिनॉक 31.01.2016 को कार्यमुक्त किया जाता हैं। इनकी प्रतिनियुक्ति सेवायें मूल विभाग को सौंपी जाती है।

श्री राकेश गर्ग, सहायक यंत्री, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें को कार्यपालन यंत्री का प्रभार दिनॉक 01.02.2016 से सौंपा जाता हैं।

प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लो.स्वा.एवं प.क.विभाग द्वारा अनुमोदित।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 28/01/2016

क्र/4/कार्या.स्था/सेल–2/2016/80

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर ।
4. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, संजीत रोड, इंदिरा सहकारी काम्पलेक्स, मंदसौर, म.प्र. ।
6. अपर संचालक, वित्त, स्थानीय कार्यालय ।
7. वरिष्ठ जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल म.प्र. ।
8. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय।
9. श्री शरद कुमार सोनी, सहायक यंत्री, स्थानीय कार्यालय ।
10. श्री राकेश गर्ग, सहायक यंत्री, स्थानीय कार्यालय ।
11. प्रभारी, एम.आई.एस.सेल की ओर विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित ।
12. सेल–2 कार्यालय स्थापना शाखा, स्थानीय कार्यालय ।
13. आदेश नस्ति/व्यक्तिगत नस्ती।

27/1/16

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें,
भोपाल

C-2 order2016.doc

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

—:: आदेश ::—

भोपाल दिनांक /01/2016

क्रमांक/ /11 /2015/सत्रह/मेडि–1:: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. संध्या नायर, चिकित्सा अधिकारी एवं डॉ. यश सराफ, चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल की प्रतिनियुक्ति से सेवायें वापस लेते हुये इनकी सेवायें प्रतिनियुक्ति पर नगरीय प्रशासन विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सौंपी जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

8/1/16

(डॉ मन्नी अहमद खॉन)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक 80 /11 /2015/सत्रह/मेडि–1 भोपाल,दिनांक 08 /01/2016

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, लोक स्वा0 एवं परि0 क0 विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, म0 प्र0 भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल मध्यप्रदेश।
6. जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल मध्यप्रदेश।
7. संबंधित डॉ.. म.प्र. ।
8. स्टाक नस्ती।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

8/1/16

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अप. संचा. (प्रशा.) जा.क्र. 136
दिनांक 08/01/16

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय
–:: आदेश ::–

भोपाल दिनांक 06/01/2016

क्रमांक/ 42/59/2016/सत्रह/मेडि–1:: विभागीय आदेश क्रमांक 8042/4478/2015/17/मेडि–1 दिनांक 20.10.2015 द्वारा डॉ. अमीर सिंह मुकाती चिकित्सा अधिकारी, का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डीदीप जिला रायसेन किया गया स्थानांतरण निरस्त करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. अमीर सिंह मुकाती को यथावत प्रतिनियुक्ति पर हमीदिया चिकित्सालय भोपाल में पदस्थ करते हुए डॉ. जे.के चौरसिया, चिकित्सा अधिकारी, गॉधी मेडिकल कॉलेज भोपाल की सेवाऐं प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुए चिकित्सा अधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डीदीप जिला रायसेन में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

07 JAN 2016
2591

(डॉ गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक 43/59/2016/सत्रह/मेडि–1 भोपाल,दिनांक 06/01/2016

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, लोक स्वा0 एवं परि0 क0 विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, म0 प्र0 भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल मध्यप्रदेश।
5. अधिष्ठाता, गॉधी मेडिकल कॉलेज भोपाल म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल/रायसेन मध्यप्रदेश।
7. कोषालय अधिकारी, भोपाल/रायसेन मध्यप्रदेश।
8. संबंधित डॉ.. म.प्र.।
9. स्टाक नस्ती।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

08/01/16

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

क्र. / 01 जी / विज्ञप्त / सेल–05 / 2015 /   भोपाल, दिनांक   / 12 / 2015

–:: आदेश ::–

शासन आदेश क्रमांक 8035 / 4580 / 2015 / सत्रह / मेडि–1 दिनांक 16.10.2015 के द्वारा डॉ अजय मणि तिवारी, चि0अ0 की सेवायें 02 वर्ष की अवधि हेतु प्रतिनियुक्ति पर आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली को सौंपी गई ।

अपर आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली द्वारा अवगत कराया गया कि , मध्यप्रदेश भवन हेतु चिकित्सा अधिकारी का एक पद स्वीकृत है जिस पर पूर्व से अन्य अधिकारी की पदस्थापना है, अत : डॉ अजय मणि तिवारी को कार्य ग्रहण नहीं कराया गया।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में डॉ अजय मणि तिवारी, चि0अ0 को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में कार्य करने हेतु आदेशित किया जाता है। डॉ अजय मणि तिवारी, चि0अ0 तत्काल अपनी उपस्थिति जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में देवें।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ0क्र. / 01 जी / विज्ञप्त / सेल–05 / 2015 / 1928   भोपाल, दिनांक 23 / 12 / 2015

प्रतिलिपः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
02. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल।
03. अपर आवासीय आयुक्त , मध्यप्रदेश भवन, 2 गोपीनाथ बरडोलाल मार्ग, चाणक्यपूरी ,नई दिल्ली, 110021।
04. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर संभाग, म0प्र0।
05. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नरसिंहपुर म0प्र0।
06. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक.जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर म0प्र0।
07. जिला कोषालय अधिकारी, जिला नरसिंहपुर म0प्र0।
08. उपरोक्त संबंधित अधिकारी डॉ अजय मणि तिवारी, चि0अ0 की ओर तत्काल पालनार्थ द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नरसिंहपुर म0प्र0।
09. प्रभारी एम0आई0एस0, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
10. आदेश नस्ती।

23/12/15

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

अप. संचा. (प्रशा.) जा.क्र. 9276
दिनांक 2/12/15

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक /11/2015

क्रमांक/ /3856/2015/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. एस. सराफ, (एम.डी. पी.एस.एम.) गॉधी मेडिकल कॉलेज भोपाल की सेवायें प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुए जिला टीकाकरण अधिकारी भोपाल में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक/1205/3856/2015/सत्रह/मेडि–1, भोपाल,दिनांक 01/12/2015

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्री जी, लोक स्वा0 एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा0 एवं परि0 क0 विभाग।
3. निज सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय।

---

1. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल म.प्र.।
3. अधिष्ठाता, गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल म.प्र.।
5. जिला कोषालय अधिकारी भोपाल म.प्र.।
6. डॉ. एस. सराफ, (एम.डी. पी.एस.एम.) गॉधी मेडिकल कॉलेज भोपाल म.प्र.।
7. स्टॉक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1/12/15
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

AD L 1/12/11
01 DEC
2344

01/SDO (I)/MPS
01/XII/15

अप. संचा. (प्रशा.) जा.क्र. 9017
दिनांक 20/11/15

AD G

19 NOV 2015
2257

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक /11/2015

क्रमांक/ /4817/2015/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. सुजाता गोयल, चिकित्सा अधिकारी, सामु0 स्वा0 के0 नूराबाद जिला मुरैना, म.प्र. की सेवायें श्रम विभाग में चिकित्सा अधिकारी के पद पर 02 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर सौंपी जाती है।

2/– सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति के संबंध में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश संबंधित अधिकारी की प्रतिनियुक्ति सेवाओं पर लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ0 गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक/0624/4817/2015/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 17/11/2015

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर, म0प्र0।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मुरैना, म.प्र.।
6. जिला कोषालय अधिकारी, जिला मुरैना, म.प्र.।
7. डॉ. सुजाता गोयल, चिकित्सा अधिकारी, सामु0स्वा0के0 नूराबाद जिला मुरैना म.प्र.।
8. स्टॉक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

17/11/15
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

20/11/2015

Surjeet//Dep.O.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

मध्य प्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/2015/ भोगपाल, दिनांक /11/2015

–:: आदेश ::–

कार्यालय कार्यपालन यंत्री तवा परियोजना संभाग इटारसी के आदेश पृ0 क्रमांक 5102/स्था0/तवा/2015 दिनांक 05.10.2015 के द्वारा डॉ विमल कुमार झा, चिकित्सा अधिकारी, की सेवायें प्रतिनियुक्ति से वापस मूल विभाग लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को सौंपी गई हैं एवं इन्हें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला होशंगाबाद के सनक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया ।

डॉ विमल कुमार झा, चिकित्सा अधिकारी की प्रतिनियुक्ति से वापसी उपरांत दिनांक 09.10.2015 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला होशंगाबाद के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत की गई । डॉ विमल कुमार झा, चि0अ0 द्वारा पदस्थापना किए जाने के संबंध में दिनांक 1310.2015 को संचालनालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

विचारोपरांत, प्रतिनियुक्ति से वापसी उपरांत प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से डॉ विमल कुमार झा, चि0अ0 की पदस्थापना, एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला होशंगाबाद के विकल्प पर की जाती है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ0क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/2015/ 1698 भोपाल, दिनांक 7/11/2015
प्रतिलिपः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
02. विशेष सहायक मान. राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
03. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल।
04. मिशन संचालक(एन0एच0एम0),कृषण भवन, जेल रोड, भोपाल।
05. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग, म0प्र0।
06. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला होशंगाबाद म0प्र0।
07. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक.जिला चिकित्सालय जिला होशंगाबाद म0प्र0।
08. जिला कोषालय अधिकारी, जिला होशंगाबाद म0प्र0।
09. उपरोक्त संबंधित डॉ विमल कुमार झा, चि0अ0 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला होशंगाबाद म0प्र0।
10. प्रभारी एम0आई0एस0, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
11. आदेश नस्ती।

06/XI/15

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र0 9/नर्सिंग/सेल–2/2015/1236 भोपाल दिनांक30/10/2015

आदेश

श्रीमति निर्मला पगारे स्टॉफ नर्स, प्रतिनियुक्ति पर कमला नेहरू बाल चिकित्सालय गैस राहत विभाग, में कार्यरत की सेवायें मूलतः वापस लेते हुये इन्हें के.एन.के. चिकित्सालय भोपाल में तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है।

(डॉ. जे.एल. मिश्रा)
संचालक नर्सिंग
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्र0 9/नर्सिंग/सेल–2/2015/1237 भोपाल दिनांक 30/10/2015
प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निज सचिव प्रमुख सचिव म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.।
2. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र.।
3. संचालक गैस राहत विभाग म.प्र.।
4. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग, भोपाल, म.प्र.।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गैस राहत विभाग म.प्र. की ओर लेख है कि श्रीमति निर्मला पगारे स्टॉफ नर्स को तत्काल कार्यमुक्त कर की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला भोपाल,म.प्र.।
7. अधीक्षक के.एन.के. चिकित्सालय भोपाल को निर्देशित किया जाता है कि श्रीमति निर्मला पगारे स्टॉफ नर्स को तत्काल कार्य पर उपस्थित कराकर की कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।
8. श्री पी.सी. थॉमस प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर बेवसाइट पर प्रकाशित हेतु।
9. श्रीमति निर्मला पगारे स्टॉफ नर्स प्रतिनियुक्ति पर कमला नेहरू बाल चिकित्सालय गैस राहत भोपाल की ओर पालनार्थ।
10. आदेश नस्ति।

संचालक नर्सिंग
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

D:\prashant\arun sir\adesh.docx

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 16 /10/2015

क्रमांक 8035 /4580/2015/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. अजय मणि तिवारी, मेडिकल ऑफिसर, केन्द्रीय जेल अस्पताल जिला नरसिंहपुर, म.प्र. की सेवायें आवासीय आयुक्त मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली में मेडिकल ऑफिसर के पद पर 02 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाता है।

2/– सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति के संबंध में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश संबंधित अधिकारी की प्रतिनियुक्ति सेवाओं पर लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

16/10/15

(डॉ0 गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक 8036 /4580/2015/सत्रह/मेडि–1, **भोपाल, दिनांक 16 /10/2015**

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली ।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर, म0प्र0।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, नरसिंहपुर, म.प्र.।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला नरसिंहपुर, म.प्र.।
8. डॉ. अजय मणि तिवारी, मेडिकल ऑफिसर, केन्द्रीय जेल अस्पताल जिला नरसिंहपुर,म.प्र.।
9. स्टॉक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

16/10/15

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

मध्य प्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/2015/ भोपाल, दिनांक /10/2015

–:: आदेश ::–

संचालनालय के आदेश क्रमांक 01/विज्ञप्त/सेल–5/2013/1539 दिनांक 23.09.2013 के द्वारा डॉ सलील कुमार, नेत्ररोग विशेषज्ञ, की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में 02 वर्ष की अवधि हेतु सौंपी गई थी।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के यू0ओ0 नोट क्रमांक 773/24.09.2015 के अनुक्रम में डॉ सलील कुमार, नेत्ररोग विशेषज्ञ, की प्रतिनियुक्ति अवधि, प्रतिनियुक्ति समाप्ति दिनांक से आगामी 02 वर्ष की अवधि हेतु बढ़ाई जाती हैं।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ0क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/2015/1502 भोपाल, दिनांक 6/10/2015
प्रतिलिपः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. विशेष सहायक मा0 मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल,म0प्र0।
02. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय,भोपाल,म0प्र0।
03. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय,भोपाल,म0प्र0।
04. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल,म0प्र0।
05. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल,म0प्र0।
06. संचालक, क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, चिकित्सा महाविद्यालय,भोपाल,म0प्र0।
07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल म0प्र0।
08. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय भोपाल, म0प्र0 ।
09. जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल म0प्र0।
10. संबंधित डॉ सलील कुमार, नेत्ररोग विशेषज्ञ, क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
11. प्रभारी एम0आई0एस0, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
12. आदेश नस्ती।

06/X/15

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक /10/2015

क्रमांक / /4198/2015/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. पी.के. श्रीवास्तव, चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय जेल ग्वालियर की सेवायें मानसिक आरोग्य शाला ग्वालियर के अधीन प्रतिनियुक्ति पर सौंपी जाती है ।

2/– सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति के संबंध में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश संबंधित अधिकारी की प्रतिनियुक्ति सेवाओं पर लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ0 गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक/5085 4198/2015/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 01/10/2015

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल।
3. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।

....

4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त आदेश विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. भोपाल।
7. अधीक्षक, मानसिक आरोग्य शाला ग्वालियर।
8. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर।
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला ग्वालियर, म.प्र.।
10. संबंधित डॉ. .... ।
11. स्टॉक फाईल/विभागीय जांच।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1/10/15

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Surjeet//Dep.O.

नि.सहा./स्था. आयुक्त/ 1650
दिनांक 16/9/15

अप. संचा. (प्रशा.) जा.क्र. 7820
दिनांक 18/9/15

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 11 सितम्बर, 2015

क्रमांकः एफ 2–105/2015/1–55 :: राज्य शासन एतद् द्वारा **डॉ. पंकज पराशर**, डिमोंस्ट्रेटर, फिजियोलॉजी विभाग, **चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर** की सेवाए **मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल** में प्रबंधक के पद पर कार्य करने हेतु अस्थाई रूप से इनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से **02 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर सौंपी जाती है।**

15 SEP 2015
आवक क्रमांक 1774

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.एस.कुमरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

HC

पृ.क्रमांक : एफ 2–104/2015/1–55 भोपाल, दिनॉक 11 सितम्बर, 2015

प्रतिलिपि :–

1. **निज सचिव**, माननीय मंत्री जी एवं माननीय राज्य मंत्रीजी, चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल
2. **प्रमुख सचिव**, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय
3. **स्वास्थ्य आयुक्त**, मध्यप्रदेश भोपाल
4. **मिशन संचालक**, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश भोपाल
5. **संचालक**, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल
6. **अधिष्ठाता**, चिकित्सा महाविद्यालय, **भोपाल** मध्यप्रदेश
7. **संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक**, चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय भोपाल मध्यप्रदेश
8. **जिला कोषालय अधिकारी**, भोपाल मध्यप्रदेश
9. **संबंधित** ....
10. **आर्डर बुक**

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

ANIL VERMA PA To DS (order copy)

नि.सहा./स्वा. आयुक्त/ 1651
दिनांक 16/9/15

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

अप. संचा. (प्रशा.) जा.क्र. 7822
दिनांक 18/9/15

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 11 सितम्बर, 2015

क्रमांकः एफ 2—104/2015/1—55 :: राज्य शासन एतद् द्वारा **डॉ. शैलेन्द्र कुमार पटने,** प्रदर्शक, फार्माकोलॉजी विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल एवं वर्तमान ओ.एस.डी. संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल की सेवाएं **लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** के अन्तर्गत **उप संचालक (आशा),** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर कार्य करने हेतु अस्थाई रूप से इनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 **वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर सौंपी जाती है।**

15 SEP ... क्रमांक 1775

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.एस.कुमरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक : एफ 2—104/2015/1—55 — भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर, 2015

प्रतिलिपि :—

1. **निज सचिव,** माननीय मंत्री जी एवं माननीय राज्य मंत्रीजी, चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल
2. **प्रमुख सचिव,** मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय
3. **स्वास्थ्य आयुक्त,** मध्यप्रदेश भोपाल
4. **मिशन संचालक,** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश भोपाल
5. **संचालक,** चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल
6. **अधिष्ठाता,** चिकित्सा महाविद्यालय, **भोपाल** मध्यप्रदेश
7. **संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक,** चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय भोपाल मध्यप्रदेश
8. **जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल** मध्यप्रदेश
9. **संबंधित** ....
10. **आर्डर बुक**

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

ANIL VERMA PA To DS (order copy)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

मध्य प्रदेश

क्र./01/विज्ञप्त/सेल–5/2015/ भोपाल, दिनांक /08/2015

–: आदेश :–

डॉ अश्विन भागवत, चिकित्सा अधिकारी जो वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर यूनिसेफ सहायित राज्य टीकाकरण समन्वयक के पद पर कार्यरत है, कि प्रतिनियुक्ति अवधि जो माह मई 2013 में समाप्त हो चुकी है, में दिनांक 31.12.2015 तक वृद्धि करते हुए डॉ अश्विन भागवत, चिकित्सा अधिकारी को यूनिसेफ सहायित राज्य टीकाकरण समन्वयक के पद पर कार्य संपादित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे एवं प्रतिनियुक्ति के दौरान सेवा शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश 1-9-15

पृष्ठा. क्र./01/विज्ञप्त/सेल–5/2015/ 1315 भोपाल, दिनांक /~~08~~/2015

प्रतिलिपि : – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :।

01 विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
02. विशेष सहायक मान. राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
03. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल।
04. मिशन संचालक(एन0एच0एम),कृषण भवन, जेल रोड, भोपाल।
05. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें भोपाल/इंदौर संभाग, म0प्र0।
06. जिलाध्यक्ष, जिला झाबुआ म0प्र0।
07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला झाबुआ,म0प्र0।
08. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक. जिला ,म0प्र0।
09. जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल,झाबुआ म0प्र0।
10. उपरोक्त संबंधित अधिकारी, डॉ अश्विन भागवत, चिकित्सा अधिकारी,एवं यूनिसेफ सहायित राज्य टीकाकरण समन्वयक, स्थानीय कार्यालय भोपाल,म0प्र0।
11. प्रभारी एम0आई0एस0, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
12. आदेश नस्ती।

31/VIII/15

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

स्वा. संचा. (प्रशा.) जा.क्र. 7326
दिनांक 27/8/15

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक /08/2015

क्रमांक एफ 2—27/2009/सत्रह/मेडि—1 : इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19.03.2013 द्वारा श्री डी.के. जैन, उपयंत्री, जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित, मण्डला की प्रतिनियुक्ति अवधि में दिनांक 24.11.2014 तक वृद्धि की गई थी। अतः राज्य शासन एतद् द्वारा श्री डी.के. जैन, उपयंत्री, जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित, मण्डला की प्रतिनियुक्ति अवधि में दिनांक 24.11.2014 से 02 वर्ष की वृद्धि करता है।

2/ राज्य शासन द्वारा समय—समय पर जारी प्रतिनियुक्ति के संबंध में जारी निर्देश लागू होंगे।

25 AUG 2015
1629

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

पृ.क्रमांक एफ 2—27/2009/17/मेडि—1 भोपाल, दिनांक 21/08/2015

प्रतिलिपिः—
1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. स्टाफ ऑफीसर/निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।

---

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें,
3. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर एवं भोपाल
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, भोपाल
5. जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल एवं मण्डला
6. महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मण्डला,
7. संबंधित कर्मचारी ....
8. विभागीय जांच/स्टॉक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग